bhai Mills at Ahmedabad to acquire their lands for constructing the Ahmedabad Remodelling Yard by a Notification in the Bombay Gazette dated the 6th June, 1957;

(b) whether Government have received representations from the Madhobhai Mill Colony Tenants' Association requesting them to acquire other suitable lands so as to prevent the closure of their factories and the unemployment of their workers;

(c) if so, the action taken with a view to solve their difficulties and to consider their suggestions; and

(d) whether Government would postpone consideration of the Remodelling Yard Scheme till an over-all and more comprehensive scheme could be implemented for remodelling both the broad gauge and the metre gauge stations of Ahmedabad?

The Deputy Minister of Railways (Shri Shahnawaz Khan): (a) Yes, Notification under section 4 of land Acquisition Act has issued.

(b) Yes.

(c) and (d). The Railway Administration has been asked to re-examine the matter in consultation with the State Government with a view to find out if it was possible to acquire an alternative site or reduce the scope of acquisition of the land belonging to Madhobhai Mills. The proposed remodelling of Ahmedabad is an urgent matter and the details of the scheme are under examination.

Central Mechanised Farm at Jammu

1268. Shri N. R. Munisamy: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the profit or loss incurred in the central mechanised farm at Jammu in 1955-56 and 1956-57?

The Deputy Minister of Agriculture (Shri M. V. Krishnappa): The farm incurred a loss of Rs. 1·18 lakhs and Rs. 2·30 lakhs during 1955-56 and 1956-57 respectively. The above figures are provisional and relate to crop year, i.e. from the period July to June each year.

Town Inspector's Examination

1269. Shri A. K. Gopalan:
Shri Warior:

Will the Minister of **Transport and Communications** be pleased to state:

(a) whether Government had received any complaint from the P & T employees regarding the results of the Town Inspector's Examination held on 14th July, 1957 in New Delhi; and

(b) if so, the action taken thereon?

The Minister of Transport and Communications (Shri Lal Bahadur Shastri): (a) Yes.

(b) The allegations were enquired into and found to be baseless and a reply was sent to the complainants.

ट्रेन दुर्घटना

१२७०. श्री आसर :
श्री रघुनाथ सिंह

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि १४ नवम्बर १९५७ को रानाघाट-बानपुर लाइन के बबूना स्टेशन पर रेल दुर्घटना में ४ व्यक्ति घायल हुए थे,

(ख) क्या यह सच है कि स्यालदा शाखा पर ७ दिन के अन्दर यह तीसरी दुर्घटना हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस शाखा पर बार बार होने वाली रेल दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करने के लिये कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है;

(ङ) क्या सरकार ने इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये कोई उपाय किये हैं; और

(च) यदि हां तो उनका स्वरूप क्या है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) १४-११-१९५७ को सुबह लगभग ७ बजकर ५५ मिनट पर जब एस-३९१ अप सवारी गाड़ी पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन में रानाघाट-बानपुर सेक्शन के बगूला स्टेशन में दाखिल हो रही थी, उसके इंजन के साथ वाले ५ डिब्बे पटरी से उतर गये । ३ आदमियों को (न कि ४ को जैसा कि सवाल में कहा गया है) चोट आयी । इन में से एक को सख्त चोट लगी ।

(ख) जी नहीं, सवाल में बतायी गयी अवधि में सियालदह डिवीजन में केवल यही एक दुर्घटना हुई । सवाल में जिन दूसरी दो घटनाओं का जिक्र किया गया है वे शायद ये हैं :—

(i) १०-११-५७ को बरानगर रोड स्टेशन के सेमी आटोमोटिक सिगनल के पास ३३० डाउन सवारी गाड़ी और एस-१९६ डाउन लोकल सवारी गाड़ी के पिछले सिरे एक दूसरे से टकरा गये; और

(ii) १२-११-१९५७ को सी० सी० लिंक केबिन के बाहरी सिगनल के पास एस-११५ अप लोकल सवारी गाड़ी और ७ अप माल गाड़ी के पिछले सिरे एक दूसरे से टकरा गये ।

ये दुर्घटनायें पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन की कलकत्ता कार्ड लाइन पर हुईं ।

(ग) तथा (घ). ऊपर जो तीन दुर्घटनायें बतायी गयी हैं, उन की जांच सरकार के रेलवे निरीक्षक, कलकत्ता ने की है । उनकी आखिरी रिपोर्ट अभी नहीं मिली है ।

(ङ) तथा (च). इस दौरान में नीचे दी गयी कार्यवाहियां की गयी हैं :—

(i) बगूला जैसी दुर्घटनाओं की रोकथाम के उपाय—

जब इंजन शैड से बाहर आये और शैड में आये, तो उस के हर एक पुर्जे की पूरी जांच की जाय ।

(ii) कलकत्ता कार्ड जैसी दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय—

यह व्यवस्था की गयी है कि आटोमैटिक सैक्शन पर काम करने वाले हर एक ड्राइवर के पास क्षमता का नया प्रमाणपत्र हो, जिसमें यह बताया गया हो कि वह आटोमैटिक सेक्शन पर काम के नियमों को जानता है । जो ड्राइवर इस सैक्शन पर काम करना नहीं जानते, उन के साथ कंडक्टर ड्राइवर चलें जो उस सैक्शन के काम को अच्छी तरह जानते हों ।

इस सेक्शन की देखभाल के लिये सुपरवाइजर रखे गये हैं जो ड्राइवरों को आगाह करते रहते हैं कि वे नियमों का ठीक-ठीक पालन करें ।

खतरे की हालत में ड्राइवरों को आटोमैटिक सिगनलों को पार करने की आज्ञा देने से सम्बन्धित नियमों को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया गया है । अब ये सिगनल "ठहरो और रुको" (Stop and Stay) समझे जाते हैं ।

Bridge at Dingraghat

1271. Shri Mohammed Tahir: Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Ganges-Darjeeling Road in Purnea District (Bihar) has been declared as National Highway;

(b) if so, whether the construction of bridge at Dingraghat on the said road has been included in the Second Five Year Plan; and